

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक - प0नि0वि0/07-योजना-02/2025 - 276(3)

दिनांक - 28/01/2026

स्वीकृत्यादेश

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं ह0),

झारखण्ड,

हिनू, रांची।

विषय:- भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund) के Setu Bandhan Sub Scheme अन्तर्गत स्वीकृत Construction of ROB in at EP No. 291/27, 291/28 between Daltonganj to Rajhara Railway Station near Bajrha Village at Palamu District in the State of Jharkhand (Job No. CRF-JHR-2022-23/65) कार्य हेतु रू0 101,38,91,300/- (एक सौ एक करोड़ अड़तीस लाख इक्यानवे हजार तीन सौ रूपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें सन्निहित राशि रू0 19,53,47,800.00 (उन्नीस करोड़ तिरपन लाख सैंतालीस हजार आठ सौ रूपये) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बंध में।

आदेश:- उपर्युक्त कार्य के लिए कुल रू0 रू0 101,38,91,300/- (एक सौ एक करोड़ अड़तीस लाख इक्यानवे हजार तीन सौ रूपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें सन्निहित राशि रू0 19,53,47,800.00 (उन्नीस करोड़ तिरपन लाख सैंतालीस हजार आठ सौ रूपये) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह योजना भारत सरकार के केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund) के अन्तर्गत स्वीकृत है।

इस ROB कार्य हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक RW/Ranchi/CRF/2021-22, dated 16.03.2023 से राशि 78.72 करोड़ मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, जो केवल कार्य मद के लिए है। कार्य मद की स्वीकृति राशि से 10% अधिक तक राशि का वहन MORT&H द्वारा किया जाना है तथा सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृति पत्र के कंडिका-19 के आलोक में भू-अर्जन एवं अन्य मदों की राशि का वहन राज्य सरकार को स्वयं करना है। वर्तमान तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन में सन्निहित प्रावधान निम्न है:-


Sl. No.	Item of Work	Cost (Rs.)
1	Amount to be borne by MoRT&H	78,72,00,000.00
2	10% extra to be borne by MoRT&H	7,87,20,000.00
	Total	86,59,20,000.00
3	T.S Civil Cost (with GST, L.C. Contingency, Quality control, WCE, Agency charge, Supervision charge, Maintenance charge and Escalation charge)	81,85,43,507.77
	Govt. Of Jharkhand will bear the cost of following items	
4	Land Acquisition and R&R	19,38,58,983.00
5	Utility Shifting	8,84,925.18
6	Afforestation	6,03,900.00
	Grand Total (4+5+6)	19,53,47,808.18
	Say Rs.	19,53,47,800.00

क्रमांक 4 से 6 तक की कुल राशि रू0 19,53,47,800.00 (उन्नीस करोड़ तिरपन सैंतालीस हजार आठ सौ रूपये) का वहन राज्य सरकार को करना है।

मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, प0नि0वि0, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 896(अनु0) दिनांक 24.09.2025 द्वारा परियोजना के निमित्त रू0 101,38,91,300/- (एक सौ एक करोड़ अड़तीस लाख इक्यानवे हजार तीन सौ रूपये) मात्र की राशि पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा वहन की जाने वाली राज्यांश की राशि रू0 19,53,47,800.00 (उन्नीस करोड़ तिरपन लाख सैंतालीस हजार आठ सौ रूपये) मात्र सन्निहित है।


2. इस निर्माण कार्य में होने वाला व्यय झारखण्ड सरकार के पथ निर्माण विभाग के व्यय शीर्ष "मुख्य शीर्ष-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय/उप मुख्य शीर्ष-03-राज्य राजमार्ग/लघु शीर्ष-101-सेतु/ उप शीर्ष-03-पुल/ विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य" के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, डाल्टेनगंज होंगे, तथा इस राशि की निकासी कोषागार, डाल्टेनगंज से की जायेगी।
4. इस कार्य को निम्न वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के अनुरूप पूरा किया जाएगा:-

वित्तीय वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य
2025-26	रू0 781.3912 लाख	40%
2026-27	रू0 1172.0868 लाख	60%
5. मुख्य अभियंता (या0), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची इस कार्य के प्रगति की समीक्षा प्रतिमाह नियमित रूप से करेंगे।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे यह देखें कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरुद्ध राशि व्यय की जा रही है जिसे दूसरे श्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है तो इसकी निकासी को रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देंगे।
7. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।


27/01/2026
सरकार के सयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- प0नि0वि0/07-योजना-02/2025 - 276(5) दिनांक - 28/01/2026
प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता(याता0), पथ निर्माण विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन,
पथ निर्माण विभाग, राँची/ अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, डाल्टेनगंज/कार्यपालक
अभियंता, पथ प्रमंडल, डाल्टेनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


2. इस स्वीकृति में आकस्मिकता व्यय की राशि सम्मिलित है, जिसके आवंटन हेतु अधियाचना के साथ उचित प्रयोजन दर्शाया जाना आवश्यक होगा।
3. योजना कार्यान्वयन हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के अनुरूप निधि का प्रबंध सुनिश्चित करते हुए कार्य पूर्ण किया जाय।
4. मुख्य अभियंता (या.) पथ निर्माण विभाग, राँची कार्य की अद्यतन प्रगति की समीक्षा कर प्रतिमाह अभियंता प्रमुख को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।


27/01/2026
सरकार के सयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- प0नि0वि0/07-योजना-02/2025 - 276(5)

दिनांक - 28/01/2026

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग झारखण्ड, राँची का प्रकोष्ठ/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/ आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर(डाल्टेनगंज)/उपायुक्त, डाल्टेनगंज/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, झारखंड, राँची/क्षेत्रीय पदाधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, राँची/संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड राँची/उप सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव (प्र0) पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता (योजना एवं अण्वेषण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/ कार्यपालक अभियंता (मु0), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/योजना पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/सहायक अभियंता (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, प्रशाखा-12, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची एवं सम्बन्धित प्रशाखा पदाधिकारी को (पाँच प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



27/01/2026

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- प0नि0वि0/07-योजना-02/2025 - 276(5)

दिनांक - 28/01/2026

प्रतिलिपि :- प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण), झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डाल्टेनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



27/01/2026

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- प0नि0वि0/07-योजना-02/2025 - 276(5)

दिनांक - 28/01/2026

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-7, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सभी सम्बन्धित को ई-मेल (E-mail) से भेजने एवं ई-प्रोक्चोरमेंट सेल, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को वेबसाईट www.jharkhand.gov.in/road पर upload करने हेतु प्रेषित।


27/01/2026

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।